न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।
बनाम
अज्ञात (टेम्पू रजिस्ट्रेशन नंबर–NA)

आदेश पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा,
केस का प्रकार–

केस संख्या– **377/2020–21**,
बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं टेम्पू रजिस्ट्रेशन नंबर–NA के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–: आदेश :– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा के पत्रांक 30/म0नि0 एवं दिनांक–09.01.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव विशेष वाद संख्या– 585/2019, में जप्त चुलाई शराब, गुड़ एवं नौसादर के विनष्टीकरण एवं जप्त टेम्पू रजिस्ट्रेशन नंबर–NA के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान–बरहशेर, थाना–बिहरा, घटना की तिथि– 28.11.2019 के साथ वर्णित है कि– "मद्यनिषेध नीति के अन्तर्गत गश्ती के क्रम में कॉलम सं0 02 में वर्णित स्थान पर दूर से ही गश्ती वाहन को रोककर टेम्पू ड्राईवर गाड़ी छोड़कर भागने में सफल रहा, दो स्थानीय स्वतंत्र गवाहों के समक्ष विधिवत टेम्पू की तलाशी ली गई। कॉलम 03–06 में दर्ज अवैध उत्पाद वस्तु एवं शराब निर्माण की सामग्री जप्त किया। जप्त टेम्पू जो बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर का है, बहुत प्रयास के बावजूद भी चेचिस नम्बर नहीं पढ़ा जा सका। चेचिस नम्बर को बेल्डिग से पूरी तरह मिटा एवं बरबाद कर दिया गया है। घटना स्थल पर मौजूद तथा बगल के लोगों से भी टेम्पू के स्वामी अथवा टेम्पू पर लदे शराब तथा शराब निर्माण संबंधी सामग्री के स्वामित्व का पता लगाया। किसी ने भी स्वामित्व का दावा नहीं किया न ही वाहन मालिक ड्राईवर की पहचान का पता चला। तलाशी एवं जप्ती की पुरी प्रक्रिया बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2018 की धारा 30 (ए) के अन्तर्गत की गई है।" प्राप्त प्रस्ताव में उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए जप्त शराब के विनिष्टीकरण एवं जप्त टेम्पू रजिस्ट्रेशन नंबर–NA के अधिहरण करने हेतु अनुरोघ किया गया है।	

उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब, गुड़ व नौसादर को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त टेम्पू रजिस्ट्रेशन नंबर–NA के अधिहरण के बिन्दु पर वाहन मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।

जप्त वाहन मालिक टैम्पू रजिस्ट्रेशन संख्या– NA के नोटिस तामिला के संबंध में अधीक्षक मद्य निषेध सहरसा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जप्त वाहन के संबंध में कोई भी नहीं बताया कि किसकी गाड़ी है। अतः जप्त वाहन का नोटिस बिना तामिला के वापस किया गया।

वाहन मालिक का नाम व पता का सत्यापन नहीं होने व उनके उपस्थित नहीं होने से उनके मंतव्य से अवगत नहीं हुआ जा सका।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि जप्त वाहन का प्रयोग शराब के अवैध परिवहन में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त टेम्पू रजिस्ट्रेशन नंबर–NA को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

चूँकि जप्त वाहन में अत्यधिक मात्रा में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में उक्त वाहन टेम्पू रजिस्ट्रेशन नंबर–NA का अधिहरण करना विधिसम्मत् प्रतीत होता है। अतः उक्त वाहन को राज्य के पक्ष में अधिहरण हेतु आदेश किया जाता है।

अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत् निलामी कर बिक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद सहरसा को एवं सूचनार्थ पुलिस अधीक्षक, सहरसा को भी भेजें।

इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

Kal 23/12/2020
समाहर्त्ता
सहरसा।

Kal 23/12/2020
समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 1068...... / न्याया०,   सहरसा, दिनांक 23.12.20

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

23.12.20

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

23.12.20